

स्वच्छता समाचार



खंड 5 | अंक 36



स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु (SGSJ)
2026 विशेष संस्करण



@swachhbharat



@SBMGramin



@SwachhBharatMissionGramin



@swachhbharatgrameen



श्री सी. आर. पाटिल माननीय केंद्रीय मंत्री की कलम से

स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि यह जनभागीदारी से संचालित एक राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, पिछले 12 वर्षों में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने करोड़ों परिवारों के जीवन में गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का एक नया अध्याय जोड़ा है। भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने से लेकर स्वच्छ और स्वस्थ गांवों के निर्माण तक, यह परिवर्तन लोगों की शक्ति और सामुदायिक भागीदारी का एक अनूठा उदाहरण है। स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत की दिशा में यह यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री. आर. पाटिल 12 जून 2026 को एक्स पर



श्री वी. सोमण्णा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री की कलम से

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तनकारी अभिशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान में साथी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होना प्रेरणादायक था। साथ में, हमने स्वच्छता, जनभागीदारी और एक स्वच्छ, स्वस्थ, विकसित भारत के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

जल शक्ति राज्य मंत्री, वी. सोमण्णा 15 जून 2026 को एक्स पर





श्री अशोक के. के. मीणा सचिव की कलम से

SBM(G) 2.0 अपने अंतिम वर्ष में है, और गांवों की ODF Plus (Model) के रूप में कार्यपरिपूर्णता, दृश्यगत स्वच्छता, परिसंपत्तियों की कार्यशीलता और DWSM के माध्यम से SBM(G) और जल जीवन मिशन की नियमित निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मिशन को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए ग्राम पंचायतें हमेशा केंद्र बिंदु के रूप में रही हैं और परिणामों को बनाए रखने और SWM नियम, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

1 जून 2026 को 'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ



श्रीमती ऐश्वर्या सिंह संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक

स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु अभियान को पांच दिनों में से प्रत्येक के लिए विशिष्ट गतिविधियों के साथ डिजाइन किया गया है और इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित किया जाना चाहिए। यह अभियान मिशन लाइफ और ठोस कचरा प्रबंधन नियम (SWM), 2026 के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। SWM नियम 2026, इस मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के साथ, कार्यान्वयन के लिए विस्तृत निर्देश और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई, जिम्मेदारी और निगरानी के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करते हैं। DDWS द्वारा डिजाइन किए गए राष्ट्रीय स्तर के IEC अभियान का उद्देश्य नियमों के प्रावधानों को सरल बनाना और उन्हें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आसानी से सुलभ बनाना है।

1 जून 2026 को 'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ



महीने के अंत में किया गया अवलोकन

30 जून 2026 तक

ODF PLUS MODEL

- ODF Plus (Model) घोषित गांव: **5.1 लाख से अधिक**
- जिन गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होने की सूचना मिली: **5.3 लाख से अधिक**
- जिन गांवों में ग्रेवाटर प्रबंधन की व्यवस्था होने की सूचना मिली: **5.6 लाख से अधिक**
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों से जुड़े ब्लॉक: **5548**
- गोबरधन के तहत, योजना के शुभारंभ के बाद से SBM(G) के तहत **1183** सामुदायिक/क्लस्टर स्तर के बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया गया है।



ख. SWM नियम, 2026 पर SGSJ और IEC अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने SWM नियम, 2026 के बारे में जागरूकता के लिए 'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' अभियान और IEC अभियान का शुभारंभ किया



SWM नियम, 2026 के बारे में जागरूकता के लिए 'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' अभियान और एक राष्ट्रीय स्तर के IEC अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री सी. आर. पाटिल ने 1 जून 2026 को नई दिल्ली में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के बारे में जागरूकता के लिए 'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' (SGSJ) अभियान और राष्ट्रीय स्तर के IEC अभियान का शुभारंभ किया।

हाइब्रिड मोड में आयोजित इस शुभारंभ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा; संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, SBM(G), सुश्री ऐश्वर्या सिंह और DDWS के अधिकारी शामिल हुए। अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, राज्य मिशन निदेशकों, SBM(G) और ग्राम पंचायतों के चयनित सरपंचों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी वर्युअल माध्यम से इस शुभारंभ में शामिल हुए।

स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के लिए DDWS का अभियान है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के सहयोग से शुरू

किया गया है। यह अभियान 1 जून से 5 जून तक कार्यान्वित किया गया था और इससे पहले 25 मई से 29 मई 2026 तक कार्यान्वयन पूर्व चरण था। अभियान मिशन लाइफ, व्यवहारवादी परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के विषयों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने पर केंद्रित था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के 4R (रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल), ग्रेवाटर प्रबंधन के 3R (रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज), चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और कचरे से कंचन पर ध्यान केंद्रित करके मिशन लाइफ के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जबकि गांवों को ODF Plus (Model) में बदलने का लक्ष्य रखता है।

'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' अभियान का एक अन्य उद्देश्य ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 के लिए जागरूकता उत्पन्न करना और उन्हें सुग्राही बनाना है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं।



ख. SWM नियम, 2026 पर SGSJ और IEC अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ

स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु

स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु: (SGSJ) 1 जून 2026 को, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री सी. आर. पाटिल ने विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर MoEFCC के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय के तहत DDWS द्वारा आयोजित स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु (SGSJ) अभियान का शुभारंभ किया। यह "जलवायु कार्रवाई" विषय के तहत 1 जून से 5 जून तक आयोजित किया गया था।

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के IEC अभियान का भी शुभारंभ किया। SGSJ अभियान में पूरे ग्रामीण भारत में 1.51 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी देखी गई।

अभियान के तहत उपलब्धियां:

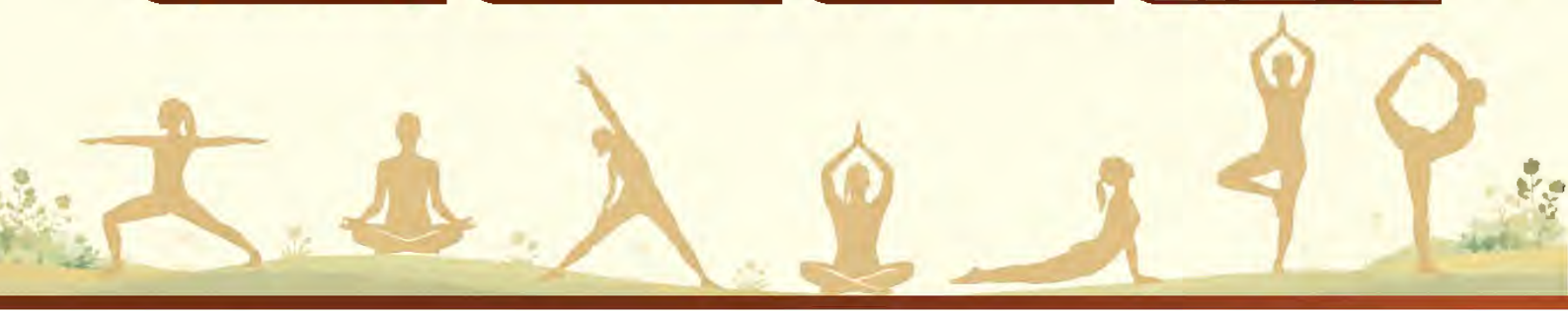
- 25 मई से 29 मई तक प्रारंभिक चरण के दौरान, SWM नियम, 2026 की बैठकों का आयोजन और प्रसार 723 जिलों में वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें 23,000 से अधिक अधिकारी शामिल हुए।
- पहले दिन, SWM नियम, 2026 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर संवेदीकरण वर्चुअल कार्यशालाओं में 1.75 लाख ग्राम पंचायतों ने भाग लिया, जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के 11.29 लाख से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।
- दूसरे दिन, 1.06 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने सामुदायिक परिसंपत्तियों के कार्यशीलता मूल्यांकन के लिए 3.21 लाख स्थलों का दौरा किया, जिसमें पीआरआई और सरपंचों सहित 8.77 लाख से अधिक लोग शामिल हुए।

- तीसरे दिन, 1.10 लाख ग्राम पंचायतों में थोक अपशिष्ट उत्पादकों के साथ परामर्श आयोजित किया गया, जिसमें 8.39 लाख से अधिक प्रतिभागी और लगभग 37,000 BWGS शामिल हुए।
- चौथे दिन, 1.12 लाख ग्राम पंचायतों में जागरूकता सृजन गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें 22.50 लाख से अधिक लोग शामिल हुए, जबकि 3.47 लाख स्थलों पर 1.21 लाख ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 33.47 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया।
- पांचवें दिन, SGSJ अभियान के तहत 66.99 लाख लोगों को शामिल करते हुए 1.49 लाख ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और "एक पेड़ माँ के नाम" पौधारोपण अभियान संचालित किया गया जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 27.98 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए।

9 जून 2026 तक SBM(G) IMIS पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए डेटा।

ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के बारे में IEC जागरूकता अभियान

IEC जागरूकता अभियान ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तकनीकी प्रावधानों को सरल बनाने और सभी हितधारकों के लिए समझने में उन्हें आसान बनाने का प्रयास करता है। नागरिक-अनुकूल संदेश के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देकर, अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करना है।



ख. SWM नियम, 2026 पर SGSJ और IEC अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ

'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' अभियान के हिस्से के रूप में 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वृक्षारोपण अभियान का आयोजन करता है।



विश्व पर्यावरण दिवस 2026 और 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के राष्ट्रव्यापी पालन के हिस्से के रूप में, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय ने 5 जून 2026 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम का नेतृत्व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा ने किया और इसमें SBM(G) की संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक सुश्री ऐश्वर्या सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव और मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्री सैकत सरकार भी उपस्थित थे।

यह गतिविधि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(MoEFCC) के सहयोग से शुरू किए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' (SGSJ) अभियान के तहत की गई थी, जिसे 1 से 5 जून 2026 तक आयोजित किया गया था।

'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' अभियान मिशन लाइफ, व्यवहारवादी परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है।

अभियान का समापन एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान और भारत में ग्राम पंचायतों में आयोजित की जा रही विशेष ग्राम सभाओं के साथ हुआ।

आरएसके में वृक्षारोपण अभियान स्वच्छता को पर्यावरण-मानसिक जिम्मेदारी से जोड़ने पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निरंतर ध्यान को दर्शाता है।



ख. SWM नियम, 2026 पर SGSJ और IEC अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु' अभियान गतिविधियां

WED 2026 (5 जून 2026) के अवसर को चिह्नित करने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक जुड़ाव और जन भागीदारी पर जोर देने के साथ "स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु" (SGSJ) अभियान चलाया।

अभियान के उद्देश्य:

क) SWM नियम, 2026 और सभी सेक धारकों की भूमिकाओं/जिम्मेदारियों पर मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर ग्रामीण क्षेत्रों में हितधारकों को संवेदनशील बनाना

(ख) ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यक्षमता स्थिति सामुदायिक SWM परिसंपत्तियों का स्व-मूल्यांकन और सत्यापन

(ग) निम्न हेतु जागरूकता पैदा करने के संबंध में:

क. मिशन लाइफ और SBM(G) से संबंधित इसके विषय,

ख. स्वच्छता और SWM परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव में समुदाय की भूमिका

(घ) समुदाय की लामबंदी:

क. संपूर्ण स्वच्छता,

ख. पर्यावरण की देखभाल,

ग. ODF Plus (Model) स्थिति की उपलब्धियां

(ङ) SWM नियम, 2026 पर ग्राम पंचायतों के संवेदीकरण के साथ-साथ अभियान के उद्देश्यों के तहत उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए 5 जून 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों ने अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जिससे सामुदायिक भागीदारी, सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई और SBM(G) के उद्देश्यों और WED 2026 के लिए जलवायु कार्रवाई के संदेश दोनों को आगे बढ़ाने वाला यह एक सफल अभियान बन गया।



Uttarakhand



Tamil Nadu

पहला दिन (1 जून 2026): वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्राम पंचायतों के जिला-स्तरीय संवेदीकरण की झलकियां



Tripura



Kerala



Andhra Pradesh



Assam



Arunachal Pradesh



Puducherry



Lakshadweep



Bihar

चौथा दिन (4 जून 2026): जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियों की झलकियां



SBM(G) के संयुक्त सचिव और प्रबंध निदेशक ने मध्य प्रदेश का आधिकारिक दौरा किया



संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राष्ट्रीय मिशन निदेशक, सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और राज्य भर के गांवों में ODF Plus (Model) का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का आकलन करने के लिए मध्य प्रदेश (18-20 जून, 2026) का तीन दिवसीय आधिकारिक दौरा किया।

इस दौरे की शुरुआत जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के CEO के साथ एक व्यापक वर्चुअल समीक्षा बैठक के साथ हुई, जिसमें राज्य SBM(G) मिशन निदेशक श्री दिनेश जैन और उनकी टीम ने भाग लिया। सुश्री सिंह ने सामुदायिक ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) परिसंपत्तियों के कार्यक्षमता मूल्यांकन, गोबरधन संयंत्रों के इष्टतम उपयोग, मलीय कीचड़ प्रबंधन के अनुपालन को सुदृढ़ बनाने, सभी ब्लॉकों में

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का विस्तार करने और ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 का पालन सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ कार्यान्वयन प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

दौरे के समय, संयुक्त सचिव और प्रबंध निदेशक सुश्री सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार की PRD की अपर मुख्य सचिव सुश्री दीपाली रस्तोगी से मुलाकात की और SBM(G) के तहत राज्य की प्रगति पर चर्चा की। सीहोर जिले में, उन्होंने जीपी खादीहाट का दौरा किया और सरपंच, पंचायत सदस्यों, SHGs, VWSCs, स्वच्छता साथियों, 'वॉश ऑन व्हील्स' टीम और ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बातचीत की।



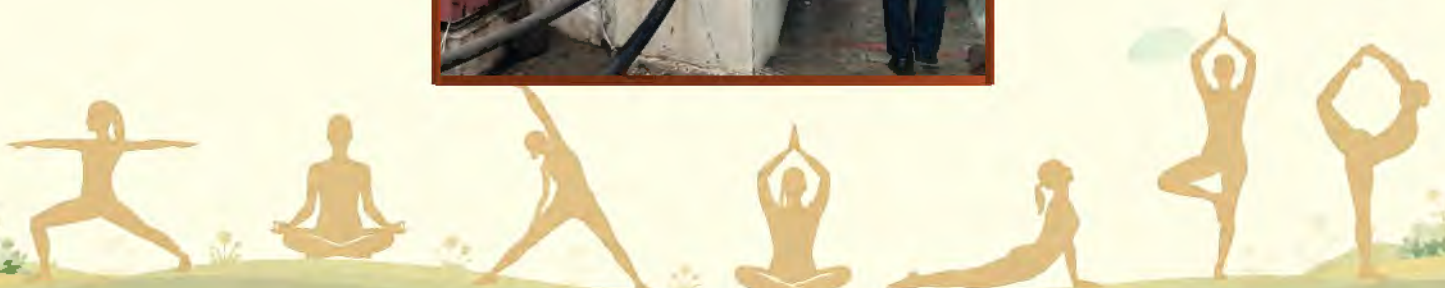
ग. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का दौरा

परिचर्चा स्वच्छता के लिए जनभागीदारी, SBM(G) कार्यान्वयन, SLWM परिसंपत्ति प्रबंधन, SHGs की भूमिका और SWM नियम, 2026 के अनुपालन पर केंद्रित थी। DEWATS प्रणाली, पृथक्करण शेड और एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर सहित प्रमुख संपत्तियों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मशीनीकृत सफाई कार्यों के लिए तैनात की जा रही एक राजमार्ग अपशिष्ट सक्शन मशीन का भी निरीक्षण किया।

देवास जिले में, सुश्री सिंह ने यूजर-चार्ज से संचालित एक समुदाय-प्रबंधित सामुदायिक स्वच्छता परिसर का दौरा किया और देवास जेल में संचालित गोबरधन बायोगैस संयंत्र की समीक्षा की।

अंतिम दिन उन्होंने उज्जैन जिले के डेंडिया ग्राम पंचायत और इंदौर जिले के कालीबिलोद ग्राम पंचायत का दौरा किया।

मुख्य आकर्षणों में ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का निरीक्षण, प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण इकाई का उद्घाटन और कालीबिलोद के मलीय कीचड़ शोधन संयंत्र का दौरा शामिल था। दौरे का समापन करते हुए, सुश्री सिंह ने राज्य की टीम से पूरे मध्य प्रदेश में घटक-वार कार्यान्वयन और ODF Plus (Model) ग्राम घोषणा में तेजी लाने का आग्रह किया।



स्वच्छता पखवाड़ा 2026 कैलेंडर के अनुसार जून में भाग लेने वाले मंत्रालय/विभाग

पर्यावरण वन एवं
जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय

नवीन एवं नवीकरणीय
ऊर्जा मंत्रालय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम
उद्यम मंत्रालय

कोयला
मंत्रालय

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय



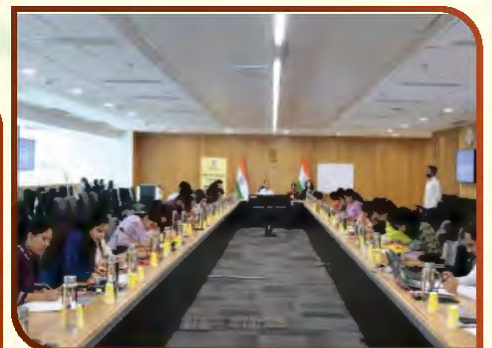
- संयुक्त सचिव (प्रशासन) द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह और समापन भाषण, जिन्होंने व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता शपथ ली गई मंत्रालय में कार्यरत स्वच्छता कर्मचारियों को सफाई किट का वितरण किया गया।
- श्रमदान गतिविधि में आस-पास के इलाके, सार्वजनिक शौचालय आदि की सफाई शामिल थी
- स्थायी और संविदा दोनों कर्मचारियों के लिए स्वच्छ भारत से संबंधित विषय पर पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री द्वारा अटल अक्षय ऊर्जा भवन में वृक्षारोपण किया गया



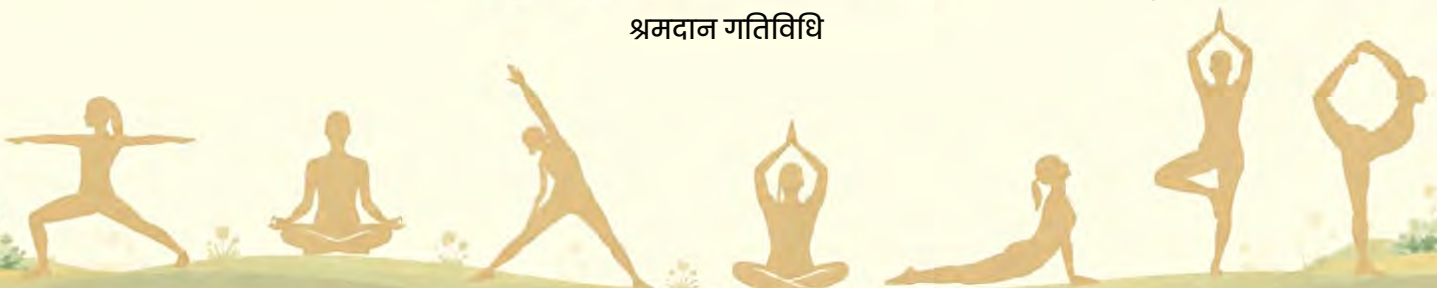
पुरस्कार वितरण समारोह एवं
समापन भाषण।



श्रमदान गतिविधि



स्वच्छ भारत से संबंधित विषय पर पोस्टर
डिजाइन प्रतियोगिता



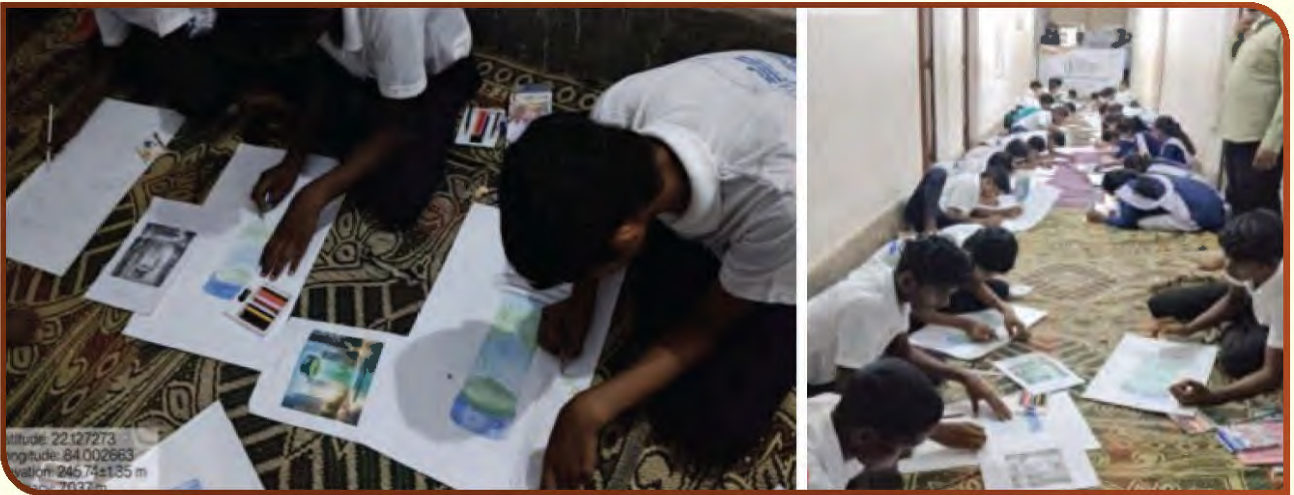
कोयला मंत्रालय



- CMPDI RI-V बिलासपुर में स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का समापन समारोह
- कोयला मंत्रालय (MCL) मुख्यालय में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जहां छात्रों और कर्मचारियों द्वारा विभिन्न फलदार पौधे लगाए गए।
- स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के तहत एक गतिविधि के रूप में पर्यावरण प्रयोगशाला हसदेव CMPDI RI-V बिलासपुर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।
- समलेश्वरी मंदिर में एक राष्ट्रव्यापी मेगा प्लगिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कोयला मंत्रालय (MCL) के कर्मचारियों ने भाग लिया और अधिक जन-आवागमन वाले मंदिर परिसर की सफाई की।
- SECL CWS KORBA विभागों/कार्यालयों/अस्पतालों/औषधालयों में वर्षा जल संचयन प्रणाली और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण का विकास/सफाई और रखरखाव।
- SECL, गेवरा क्षेत्र: भिलाईबाजार में स्वच्छ पेयजल और SECL, गेवरा क्षेत्र द्वारा जल निकायों की सफाई पर जागरूकता कार्यक्रम।
- MCL बसुंधरा क्षेत्र: स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के हिस्से के रूप में MCL बसुंधरा क्षेत्र द्वारा बालीजोरी शिशु सेवा आश्रम में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- MCL ओरिएंट एरिया: MCL ओरिएंट एरिया द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के हिस्से के रूप में वृक्षारोपण अभियान।
- MCL लखनपुर क्षेत्र: दलगांव ग्राम पंचायत में स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के तहत जूट बैग और कूड़ेदान का वितरण।



घ. जून 2026 में स्वच्छता पखवाड़ा



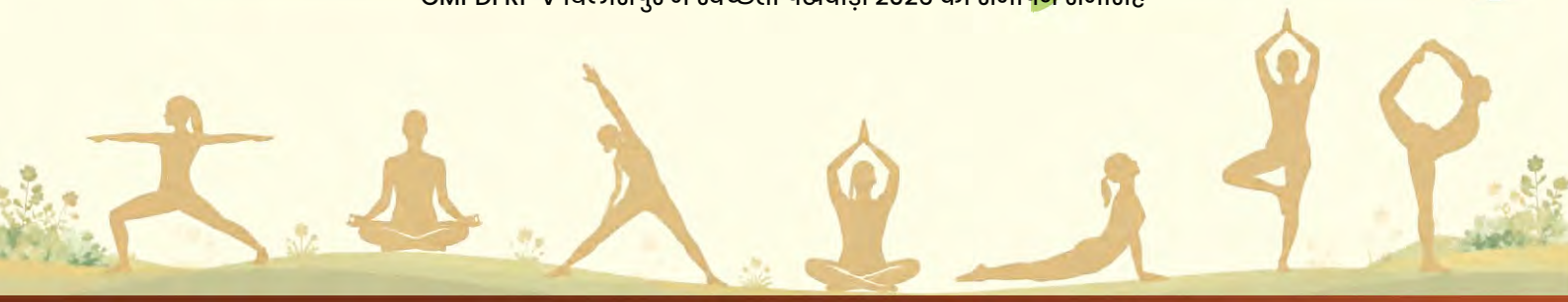
स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के हिस्से के रूप में MCL बसुंधरा क्षेत्र द्वारा बालीजोरी शिशु सेवा आश्रम में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया



ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में वेस्ट टू आर्ट कार्यक्रम का आयोजन



CMPDI RI-V बिलासपुर में स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का समापन समारोह



संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक SBM(G) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय स्तर की दूसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की



SBM(G) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दूसरी राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने SBM(G) चरण-II के तहत वित्तीय और भौतिक प्रगति के मूल्यांकन हेतु 29 जून 2026 को 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड तथा कर्नाटक के SBM(G) मिशन निदेशकों के साथ राष्ट्रीय स्तर की दूसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में कार्यक्रम की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई क्योंकि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अब समाप्त होने वाली है। ODF Plus (Model) गांवों की जिला-वार स्थिति, लंबित सत्यापन, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) परिसंपत्तियों तथा मल

शोधन संयंत्रों (FSTP) की कार्यशीलता, ग्रेवाटर प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, गोबरधन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निधि उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रगति में विधिवत तेजी लाने, SLWM और स्वच्छता परिसंपत्तियों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने तथा नियमित निगरानी और समय पर सत्यापन के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने का आग्रह किया गया।

आगे बढ़ने की दिशा में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मिशन निदेशकों को कार्यान्वयन में तेजी लाने और कार्यक्रम संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर गहन समीक्षा करने की सलाह दी गई। बैठक में भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।



12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर DDWS



जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में DDWS की भागीदारी की झलकियां

21 जून 2026 को मनाए गए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) के अवसर पर, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा "स्वस्थ जीवन के लिए योग" विषय पर आधारित एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सत्र में भाग लिया और आजीवन स्वस्थ, सुखद और ऊर्जावान जीवन को बढ़ावा देने में योग के महत्व की पुष्टि की।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया, व्यवस्थित तरीके से आयोजित निर्देशित योग अभ्यासों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

योग सत्र के बाद, मंत्रालय के अधिकारी "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए और नागरिकों को पर्यावरणीय स्थिरता तथा हरित भविष्य की दिशा में योगदान देने के लिए इस पहल का हिस्सा बनने हेतु प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम में आजीवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसने इस संदेश को भी दृढ़ किया कि सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन के लिए आवश्यक आधार हैं, जो सभी आयु समूहों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता को सक्षम बनाते हैं।



SBM(G) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक ने RWPF भागीदारों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र SBM(G) टीमों के साथ बैठक की अध्यक्षता की



SBM(G) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक ने RWPF भागीदारों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र SBM(G) टीमों के साथ संवाद सत्र की अध्यक्षता की

SBM(G) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत भागीदारों द्वारा की जा रही गतिविधियों की प्रगति और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए 12.6.26 को ग्रामीण वॉश भागीदार मंच (RWPF) भागीदारों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के SBM(G) एमडी/टीमों के साथ संवाद सत्र की अध्यक्षता की।

चर्चा के दौरान, RWPF भागीदारों ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर की गई गतिविधियों और उनके संबंधित विषयगत क्षेत्रों के तहत प्रदान की जा रही सहायता के बारे में सूचना प्रदान की। भागीदारों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए, कुछ भागीदारों के अपेक्षानुरूप कम प्रदर्शन के उदाहरणों और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित राज्यों के साथ कम समन्वय के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीप क्षेत्रों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्य करने के इच्छुक भागीदारों के प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए थे।

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी कि वे RWPF के माध्यम से SBM(G) के तहत प्रदान की जा रही सहायता के प्रभावी समन्वय, बेहतर निगरानी और इष्टतम उपयोग के लिए RWPF भागीदारों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें।

उन्होंने RWPF भागीदारों पर संबंधित विषयगत क्षेत्रों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र SBM(G) एमडी के साथ समन्वय में कार्य करने पर जोर दिया। यह SBM(G) उद्देश्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

इस सत्र में यूनिसेफ, कंसोर्टियम फॉर DEWATS डिसेमिनेशन सोसाइटी (सीडीडी), पीरामल फाउंडेशन, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (CEE) सहित 10 RWPF भागीदारों में से आठ ने भाग लिया।



SBM(G) के तहत कारगिल जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान

ग्रामीण विकास विभाग, जिला कारगिल ने जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के उपयोग के विरुद्ध स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत एक जिला-व्यापी जागरूकता और प्रवर्तन अभियान शुरू किया।

कारगिल जिले के सभी 15 ब्लॉकों में जागरूकता और IEC गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें स्वयं सहायता समूहों, व्यापारियों, छात्रों, युवा स्वयंसेवकों और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी थी। अभियान में ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत, सार्वजनिक बैठकें, स्वच्छता अभियान, IEC सामग्री संवितरण और सोशल मीडिया आउटरीच शामिल थे।

प्रतिभागियों को संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर एकल-उपयोग प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के प्रति

संवेदनशील बनाया गया और अभिचिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक की वस्तुओं पर सरकार के प्रतिबंध से संबंधित सूचना दी गई। उन्हें कपड़े और कागज के थैले, पुनः उपयोग वाले बर्तन, स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण और जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान परिपाटियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

अभियान ने आगे वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के तहत प्रवर्तन प्रावधानों पर प्रकाश डाला। इस पहल को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जो कारगिल में स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त गांवों के प्रति बढ़ती जन जागरूकता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



कारगिल जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध अभियान की झलकियां



गोंडा का स्वच्छता मार्ट मॉडल सामुदायिक स्वच्छता स्थिरता को सुदृढ़ बनाता है

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सृजित सामुदायिक स्वच्छता परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक स्थिरता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में गोनार्ड स्वच्छता मार्ट पहल की शुरुआत की है।

यह मॉडल एक सामुदायिक शौचालय के साथ एक कॉम्पैक्ट 8 x 10 फीट स्वच्छता मार्ट रूम को एकीकृत करता है। यह स्थान कई कार्य करता है, जिसमें केयरटेकर के लिए एक समर्पित कार्यस्थल, स्वच्छता उत्पादों के लिए एक प्रदर्शन और बिक्री बिंदु, स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए एक मंच तथा समुदाय के लिए एक दृश्यमान स्वच्छता सेवा केंद्र शामिल है।

यह पहल निर्माण के बाद की एक आम चुनौती का समाधान करती है: जबकि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा सकता है, उनकी निरंतर कार्यशीलता नियमित सफाई, संचालन, निगरानी, मामूली रखरखाव, स्थानीय जवाबदेही और एक प्रेरित केयरटेकर की उपस्थिति पर निर्भर करती है। कई गांवों में, केयरटेकर के

लिए एक समर्पित कार्यस्थल की कमी और कमजोर उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला इन सुविधाओं के रखरखाव और उपयोग को प्रभावित कर सकती है।

पहले चरण के तहत, कार्यान्वयन के लिए 300 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था, जिसमें अब तक 285 से अधिक स्वच्छता मार्ट पूरे हो चुके हैं।

यह मॉडल SBM (G) चरण II के उद्देश्यों के साथ निकटता के साथ संरेखित है। यह सामुदायिक शौचालयों के उपयोग और रखरखाव में सुधार लाकर ODF स्थिरता का समर्थन करता है, ग्राम स्वच्छता परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से ODF Plus लक्ष्यों में योगदान देता है और स्वच्छता उत्पादों तथा जागरूकता लाने के लिए एक स्थानीय मंच प्रदान करके व्यवहारवादी परिवर्तन को बढ़ावा देता है।



उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निकट गोनार्ड स्वच्छता मार्ट का निर्माण किया गया





स्वच्छता अनसुलझे शब्द



आप स्वच्छता की भाषा को कितनी अच्छी तरह जानते हैं?
इन शब्दों/वाक्यांशों को सुलझाएं।

1

GRASEGETOIN



स्रोत पर कचरे को
अलग करना

6

HACSWHTRABHAT



भारत का प्रमुख
स्वच्छता मिशन

2

MWSELRU



ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन
के लिए नए नियम

7

GAEENRM



मिशन का ग्रामीण घटक

3

DOLSIETSAW



जो कचरा हम हर दिन
पैदा करते हैं

8

TOCOMPS



अपशिष्ट जो खाद
बन जाता है

4

HADGOBRAN



मवेशियों के गोबर और जैविक
कचरे को कंपन में बदलना

9

TSWAEOTWLEAHT



कचरे को एक उपयोगी
संसाधन में बदलना

5

LARCRICUYOECNOM



संसाधनों को यथासंभव लंबे
समय तक उपयोग में रखना

10

CILPSTAWETSA



एक प्रमुख अपशिष्ट स्ट्रीम
जिसके लिए जिम्मेदार प्रबंधन की
आवश्यकता होती है

4. GOBARdhan
8. Compost

3. Solid Waste
7. Grameen

2. SWM Rules
6. Swachh Bharat
10. Plastic Waste

1. Segregation
5. Circular Economy
9. Waste to Wealth

उत्तर:





पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
संयुक्त सचिव मंत्रालय
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI



स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान देने के लिए, हर महीने की 15 तारीख से पहले
अपने सुझाव sbmiec.ddws@gmail.com पर साझा करें



पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
संयुक्त सचिव मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक का कार्यालय, SBM-G,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय,
भारत सरकार।

चौथा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24362192 | ई-मेल: js-sbm@gov.in